तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
18-7-23	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित वास्ते बहस प्रा०पत्र समय अभाव-चाहा गया वास्ते बहस प्रा०पत्र 25-7-23 को पेश हो। [initials]
25-7-23	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित बहस प्रा०पत्र 212 अ०रा०अ० पर सुनी गई वास्ते आदेश पत्रावली 27-7-23 को पेश हो। [initials]
27-7-23	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित आदेश सुनाया गया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया ~~विस्तृत~~ पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूलवाद रहे। [initials] उपखण्ड अधिकारी [illegible] ([illegible])

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, जिला बून्दी राज0

58/प्रा0पत्र/2016
दायरा दिनांक 3.10.2016

पीठासीन अधिकारी
श्री राम कुमार वर्मा (RAS)

बउनवान

बाबूलाल आत्मज श्री हीरालाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम बलदेवपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज

–प्रार्थी

बनाम

1. मुकुट बिहारी आत्मज नन्दकिशोर जाति गुर्जर निवासी ग्राम बलदेवपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
2. जमना शंकर आत्मज नन्दकिशोर जाति गुर्जर निवासी ग्राम बलदेवपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
3. दुर्गाशंकर आत्मज नन्दकिशोर जाति गुर्जर निवासी ग्राम बलदेवपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
4. नन्दकिशोर आत्मज लक्ष्मीचन्द जाति गुर्जर निवासी ग्राम बलदेवपुरा

मृतक जरिये कायम मुकाम–

4/1. शंभूलाल आत्मज नन्दकिशोर जाति गुर्जर निवासी 26 लाजपतनगर ग्रामीण पुलिस लाईन रोड़, बोरखेड़ा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
4/2 श्रीमति सूरजबाई पुत्री नन्दकिशोर पत्नी मोहनलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम खेडली व्यासान तहसील के0 पाटन जिला बून्दी।

–अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट
अधिवक्ता:– 1. श्री राजेन्द्र कुमार जैन (एडवोकेट)
2. धीरज जैन (एडवोकेट)

निर्णय दिनांक :– 27.07.2023

प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी खसरा संख्या 233 रकबा 0.13 हैक्ट., खसरा सं0 234 रकबा 0.46 हैक्ट. कुल किता 2 कुल रकबा 0.59 हैक्ट. किश्म नहरी दोयम वाके ग्राम बलदेवपुरा पटवार हल्का घाट का बराना तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0 में स्थित है। इस आराजी के खातेदार प्रार्थी हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत खातेदार को जो अधिकार उपलब्ध हैं, उन सब अधिकारों का उपयोग/उपभोग करने का अधिकार प्रार्थी को है। वर्णित आराजी के संबंध में प्रार्थी ने इस प्रार्थना–पत्र के साथ अपने द्वारा बनाया गया नक्शा पेश

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with CamScanner

किया है, जो परिशिष्ट 'अ' है, जो प्रार्थना–पत्र का भाग है, जिसमें दोनों खसरा संख्याओं की भूमि ए, बी, सी, डी से दर्शाया गया है। नक्शे में सी, ई, एफ, जी भाग 1 बीघा करीब भूमि है, जिसको नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया है। इस भूमि में प्रार्थी ने अस्थायी निर्माण कार्य कृषि गतिविधियाँ करने के लिए बनाया हुआ है। अप्रार्थीगण ने संयुक्त व व्यक्तिगत रूप से लगभग 1 बीघा भूमि पर करीब 4 साल से अतिक्रमण करके धीरे–धीरे अस्थायी निर्माण कर लिया है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को अतिक्रमण हटाने बाबत् निवेदन किया कि अप्रार्थीगण ने जिस भूमि पर अस्थायी निर्माण किया है, उसको स्वयं की खातेदारी बताते हुए कब्जा हटाने से इंकार कर दिया। प्रार्थी विवादित आराजी का खातेदार कृषक होने से प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के हक में प्रमाणित है और अंत में निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि पर अतिक्रमण नहीं करें। उपयोग/उपभोग में दखलअंदाजी नहीं करें।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जबाव प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त विवादित आराजी खसरा संख्या 233 एवं 234 के सेटलमेंट से पूर्व के खसरा सं0 148 थे जिसमें से प्रार्थी द्वारा 1 बीघा भूमि का बेचान दिनांक 20.12.1989 को 20,000 रुपये प्रतिफल में अप्रार्थी संख्या 4 को किया गया था तथा मेगा हाइवे की तरफ कब्जा अप्रार्थी को दिया गया था। विक्रय शुदा भूमि पर प्रार्थी के समस्त प्रकार के हक अधिकार समाप्त हो चुके हैं। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र संग्लन नजरी नक्शे में अप्रार्थीगण की कब्जे की भूमि को गलत दर्शाया गया है। अप्रार्थीगण अतिक्रमी नहीं होकर सद्भावी क्रेता हैं और निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमारे द्वारा उभयपक्ष विद्यवान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों का दोहराव करते हुए अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया। अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने जबाव प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों का दोहराव करते हुए प्रार्थी से एक बीघा भूमि प्रतिफल देकर क्रय की गई थी जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 4 के मकान बने हुए हैं तथा प्रार्थी का ही कब्जा चला आ रहा है और निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष विद्यवान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073 के अवलोकन से विवादित आराजी खसरा सं. 233 रकबा 0.13 हैक्ट., खसरा सं0 234 रकबा 0.46 हैक्ट. ग्राम बलदेवपुरा प्रार्थी बाबूलाल आत्मज हीरालाल गुर्जर की खातेदारी में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र की छायाप्रति का अवलोकन करने से विवादित आराजी में से 1 बीघा भूमि क्रय होना व क्रय शुदा भूमि पर स्थायी निर्माण होने बाबत् साक्ष्य के आधार पर मूल–वाद में तय होंगे। वाद बहुलता बढ़ने की सम्भावना को देखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा संख्या 333, 334 वाके ग्राम बलदेवपुरा तहसील इन्द्रगढ में स्थित कृषि भूमि प्रार्थी द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बूंदी)

Scanned with CamScanner

बताई गई क्रय भूमि जो संग्लन नजरी नक्शे में एफ, एच, आई, ई से दर्शायी हुई है, को छोड़ते हुए शेष अन्य कृषि भूमि पर प्रार्थी खातेदार को उपयोग/उपभोग लेने में अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करने बाबत् ताफैसला मूल–वाद को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह प्रार्थी खातेदार की शेष भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण निर्माण इत्यादि नहीं करें न जो स्वयं करें न अपने किसी प्रतिनिधि से करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर संग्लन मूल–वाद रहे।

निर्णय आज दिनांक 27.07.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बूंदी)

Scanned with CamScanner